संख्या-19/2025/1682-57-2025-57-1099-15-2022

प्रेषक,

लक्ष्मण राम,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
धर्मार्थ कार्य निदेशालय,
उ०प्र०, लखनऊ।

धर्मार्थ कार्य अनुभाग **लखनऊ: दिनांक 05 अगस्त, 2025**

विषयः-प्रदेश के मन्दिरों की सूचना प्रदान किये जाने हेतु विकसित ऑनलाइन एकीकृत मन्दिर सूचना प्रणाली (आई0टी0आई0एम0एस0 पोर्टल) का भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया संयुक्त् निदेशक, धर्मार्थ कार्य निदेशालय के पत्र सं0-128/ध0का0नि0/2025-26 दिनांक-05.07.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जिसके द्वारा आई.टी.आई.एम.एस. पोर्टल दिनांक 21.04.2025 को विकसित कर डोमेन नेम www.upitims.in पर लाईव किये जाने तथा सिक्योरिटी ऑडिट कराते हुए उपलब्ध कराये गए इनवॉइस के अनुसार कार्य के सापेक्ष यू.पी. इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ के पक्ष में स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

उक्त के अतिरिक्त पर्यवेक्षण का कार्य निदेशालय को हस्तगत किए जाने विषयक निर्णय शासन स्तर पर लिए जाने की स्थिति में निदेशालय द्वारा पर्यवेक्षण किये जाने तथा अग्रेत्तर भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में अवगत कराया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ऑन लाइन एकीकृत मंदिर सूचना प्रणाली (आई०टी०आई०एम०एस०पोर्टल) को विकसित करते हुए लाइव किये जाने के दृष्टिगत उपलब्ध कराये गए इनवाइस की धनराशि रू0 45,14,574/- (जी०एस०टी० सहित) की वित्तीय स्वीकृति कार्यदायी संस्था उ०प्र० इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन लि०, लखनऊ के पक्ष में किये जाने हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्राविधानित धनराशि रू0 100.00 लाख के सापेक्ष देय धनराशि रू० 45,14,574/- जी०एस०टी० सहित (पैतालिस लाख चौदह हजार पांच सौ चौहत्तर मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों:-

1. जी०एस०टी० के मद में स्वीकृत की जा रही धनराशि को प्रबन्ध निदेशक, यू० पी० इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन लि०, लखनऊ के द्वारा राजकोष में जमा किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

2. ऑन लाइन एकीकृत मंदिर सूचना प्रणाली (आई०टी०आई०एम०एस०) पोर्टल का सम्यक अनुश्रवण करते हुए उक्त पोर्टल के पर्यवेक्षण की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3. ऑन लाइन एकीकृत मंदिर सूचना प्रणाली (आई०टी०आई०एम०एस०) पोर्टल पर मंदिरों से सम्बंधित सूचनाओं को अपलोड किये जाने हेतु जनपदों को मार्गदर्शन प्रदान किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

4. स्वीकृत की गयी धनराशि का आहरण निदेशक, धर्मार्थ कार्य निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ द्वारा स्वयं अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत पद धारक द्वारा शासनादेश के अनुसार कोषागार वाराणसी/लखनऊ से किया जायेगा।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 45,14,574 (रुपये पैंतालीस लाख चौदह हजार पाँच सौ चौहत्तर मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 084 लेखा शीर्षक 2250001011100 ऑन लाइन एकीकृत मंदिर सूचना प्रणाली (आई.टी.आई.एस.) मानक मद 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक- 27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नकः यथोक्त

भवदीय,

(लक्ष्मण राम)
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उ० प्र०, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), उ०प्र० लखनऊ/प्रयागराज।
3. प्रमुख सचिव, आई० टी० एवं एवं इलेक्ट्रॉनिक अनुभाग-2
4. जिलाधिकारी, वाराणसी।
5. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन लि०, लखनऊ।
6. वित्त नियंत्रक, वाराणसी/लखनऊ।
7. मुख्य कोषाधिकारी, वाराणसी/लखनऊ।
8. वरिष्ठ प्रबन्धक (सॉफ्टवेयर), उ०प्र० इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन लि०, लखनऊ।
9. वित्त-व्यय-नियन्त्रण अनुभाग-5, उ०प्र० शासन।
10. सामान्य प्रशासन अनुभाग, उ० प्र० शासन।
11. विभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(लक्ष्मण राम)
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in